

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 5302 / 12-1

दिनांक, गोपेश्वर,

मई 28 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (online no FP/UK/Road/31821/2018)

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 2462 / FP / UK / Road / 31821 / 2018 दिनांक 13.04.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित की गयी, जिसमें अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्र संलग्न है जिसमें उनके द्वारा दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। इस कार्यालय मांगी गयी सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र० सं०	अनुपालन आख्या में त्रुटिपूर्ण बिन्दुओं में मांगी गयी सूचना	मांगी गयी बिन्दुओं की आख्या
1.	In compliance to condition no 3(ख) DFO mentioned that plantation will be done in blank space and the details are not required. State government is requested to submit the location details of area in DFL where the plantation of 800 tree by Rs. 10,64,800.00 is proposed to be done. The same is necessary for monitoring purpose in future.	कुंजाकोट III क०न० 06 में 800 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा। उक्त क्षेत्र का उल्लेख प्राक्कलन में किया गया है।
2.	It is also requested to submit the plantation scheme of RS. 10,64,800.00	वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि रू० 10,64,800.00 का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न - 1

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 5302 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्त संलग्नको सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से Prवेश Portal में ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- यथोपरि।

0/c

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.40 है०
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्र० सं०	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है० में)
1.	कंजाकोट III क० न० 06 उमर भित्त वन	0.800
	योग	0.800
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना		
क्र० सं०	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, काफल, आंवला, पदम इत्यादि	800
	रोपित कुल पौध	800

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.800	है०	168.00	134.40
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	0.800	है०	5446.00	4356.80
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	0.800	है०	48000.00	38400.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गडढा 25 ग्राम)	800	गडढे	11.00	8800.00
6	पाधों की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	800	पौधे	10.00	8000.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	0.800	है०	1350.00	1080.00
8	कन्दुर नाली खुदान व रेखांकन	188.00	र०मी०	93.30	17540.40
9	जल संरक्षण कार्य/भूमि संरक्षण कार्य	5.000	सं०	40000.00	200000.00
	योग- प्रथम चरण:-				278311.60

द्वितीय वर्ष

1	गडढे भरान कार्य	800	सं०	2.00	1600.00
2	पाधों की कीमत द्वितीय वर्ष	800	सं०	3.00	2400.00
3	पौध दुलान कार्य	800	सं०	13.00	10400.00
4	पौध रोपण कार्य व धावला बन्दी कार्य	800	सं०	4.00	3200.00
5	पाधों की प्रथम निराई गुड़ाई	800	सं०	2.75	2200.00
6	पाधों की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	800	सं०	2.40	1920.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	5600.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	0.600	है०	1800.00	1080.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	55000.00
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एवं अन्य व्यय फोटोग्राफ	1.000	सं०	L.S	19000.00
11	जल संरक्षण कार्य/भूमि संरक्षण कार्य	4.000	सं०	40000.00	160000.00
	योग- द्वितीय चरण:-				262400.00

तृतीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव अनुस्क्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	9600.00
2	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखी घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लैण्डाना, गाचर घास/काला बांसा)	0.20	है०	1800.00	360.00
3	9.2 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	57000.00
4	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	80	पौधे	13.00	1040.00
5	पौध की दुलान	80	पौधे	13.00	1040.00
6	पुनः गद्दा खोदना एवं रोपण कार्य	80	पौधे	6.00	480.00
7	गद्दों में गोबर खाद डालना लागत सहित	8	कु०	285.00	2280.00
8	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	80	पौधे	2.38	190.40
योग तृतीय चरण:-					71990.40
चतुर्थ वर्ष अनुस्क्षण कार्य					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग चतुर्थ चरण:-					64600.00
पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग पंचम चरण:-					64600.00
छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग छठा चरण:-					64600.00
सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग सातवां चरण:-					64600.00
आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग आठवां चरण:-					64600.00
नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग नौवां चरण:-					64600.00
दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
योग दसवां चरण:-					64600.00
5- कुल व्यय सारास प्रति है० व कुल व्यय					
क्र० सं०	वर्ष का नाम	प्रति है० व्यय			
1	प्रथम वर्ष	278311.60			

2	द्वितीय वर्ष					262400.00 ✓
3	तृतीय वर्ष					71990.40 ✓
4	चतुर्थ वर्ष					64600.00 ✓
5	पंचम वर्ष					64600.00 ✓
6	षष्ठम वर्ष					64600.00 ✓
7	सप्तम वर्ष					64600.00 ✓
8	आठवां वर्ष					64600.00 ✓
9	नवम् वर्ष					64600.00 ✓
10	दसम वर्ष					64600.00 ✓
		कुल रूपये		1064902.00		
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2020-21 हेतु देय दर प्रति है 0 रु 1331.00						
		800.000	plants	1331.00	1064800.00	✓
या देय कुल धनराशि		1064800.00				

Checked for Rs 10,64,800/-
10/11/20
 D/M an
 Forest

वन क्षेत्राधिकारी
 नन्दप्रयाग रेंज
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Suma
 प्रभागीय वनाधिकारी
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
 (घमोली)

पत्रांक:- 2871 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जून 13, 2022.

विषय—

उत्तराखण्ड, देहरादून।
जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.40 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/31821/2018

सन्दर्भ—

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/31821/2018
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का
पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/154/2018/एफ.सी./38 दिनांक 08.04.2022

महोदय,

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 5302/12-1 दिनांक 28.05.2022 से अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में सन्दर्भित पत्र से चाही गई 2 बिन्दुओं की सूचना निम्नप्रकार प्रेषित है:-

विषय	विवरण
1.	प्रमाणित
2.	प्रमाणित

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 2871 / 12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को उपरोक्त पत्र के क्रम/में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।